अग्निकांड

8 घंटे की कड़ी मशक्कत से बुझाई गई आग, 40 मकानों को बचाया गया, सुबह 9 बजे दोबारा भड़क उठी थी आग

तीन मंजिला भवन में भड़की आग ने मचाया कोहराम

नवभारत,जबलपुर। करमचंद चौक स्थित तीन मंजिला इमारत में स्थित म्यूजिक शो रूम और अतिथि कलेक्शन कपड़े के गोदाम में भड़की आग ने जमकर कोहराम मचाया। आग इतनी भीषण थी कि देर रात करीब साढे दस बजे से लेकर मंगलवार सुबह करीब साढे 6 बजे तक फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में लगा रहा। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन अतिथि कलेक्शन के गोदाम के ऊपरी हिस्से में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे फिर से दोबारा आग भड़क उठी। जिसकी सूचना लोगों ने तत्काल फायर अमले को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर दोबारा पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों के जरिए आग पर सुबह साढे दस बजे तक काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि संभवत: आग शॉट सर्किट की वजह से लगी है। पहले आग म्यूजिकल पैलेस में भड़की और फिर देखते ही देखते आग ने सरल जैन की अतिथि कलेक्शन को भी अपनी आगोश में ले लिया। इस अग्निकांड ने तीन मंजिला इमारत में मौजूद दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकीं थीं और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। बताया जा रहा है कि फायर अमले की बहादुरी व तत्परता से करमचंद चौक के पास स्थित करीब 40 मकान भी बच गए क्योंकि अगर ये आग तीन मंजिला इमारत से और आगे बढ़ती तो फिर आसपास के मकान भी जलकर खाक हो जाते।जानकारी के अनुसार करमचंद्र चौक स्थित तीन मंजिला इमारत में भड़की भीषण आग की भयावहता देखकर रात में ही सुरक्षा संस्थान से हाईटेक फायर ब्रिगेड वाहन को बुलाया गया जिसके बाद बिल्डिंग के चारों ओर बारिश जैसे पानी की बौछार कर आग पर काबू करने का प्रयास किया गया।

60 हजार लीटर पानी से बुझाई गई आग

नगर निगम के फायर कर्मी अशोक मौर्या ने नवभारत को बताया कि अग्निकांड पर काबू पाने फायर अमला करीब 8 बजे तक मेहनत करता रहा तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। अशोक के अनुसार कुल 5 बड़े पानी के टैंकर के पानी से आग बुझाई गई। एक टैंकर में करीब 12 हजार लीटर पानी मौजूद था। मतलब कुल 60 हजार लीटर पानी से भीषण आग पर काबू पा लिया गया था।

रेलवे अस्पताल में भड़की आग, जानमाल का नुकसान नहीं

केंद्रीय रेलवे अस्पताल जबलपुर के इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में एसी के कंप्रेसर से गैस लीक होने से आग लग गई। इस घटना से वहां भर्ती मरीजों, उनके परिजनों व स्टाफ में अफरातफरी मच गई लेकिन रेल कर्मचारियों की सतर्कता व तत्परता के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि 31 मार्च मंगलवार की सुबह अस्पताल के आईसीयू में लगे एसी कंप्रेसर से अचानक गैस लीक होने लगी, जिसमें वहाँ आग भड़क उठी घटना की जानकारी तत्काल ही सुरक्षा गार्डों ने आरपीएफ को दी। आरपीएफ के एएसआई धीरज कुमार तुरंत ही घटना की जानकारी लगते ही स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचे और रेल कर्मचारियों ऋषभ शर्मा तथा जोगेंद्र विश्वकर्मा के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इस दौरान आईसीयू प्रभारी रीता पटेल भी मौजूद रही घटना से थोड़ी देरे के लिए हड़कम्प मचा रहा, पोस्ट प्रभारी, आरपीएफ राजीव ख़रब ने बताया कि रेलवे अस्पताल के आईसीयू में एसी के कंप्रेसर से गैस लीक होने के कारण आग लगने की घटना सामने आई। समय रहते टीम के सदस्यों द्वारा इसपर नियंत्रण पा लिया गया। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।,

आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथी शरद जायसवाल की जमानत अर्जी निरस्त

जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने मनी लान्ड्रिंग मामले में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथी शरद जायसवाल की दूसरी बार जमानत अर्जी निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा है। इसमें कई स्तर पर अवैध लेन-देन और नेटवर्क शामिल हैं। आरोपित के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। रिहा होने पर दोबारा अपराध करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आरोपी को इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि उसे इस कथित अपराध की जानकारी नहीं थी। शरद का मामला परिवहन विभाग के पूर्व कान्स्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ा है। आरोप है कि सौरभ ने अवैध रूप से संपत्ति अपने स्वजनों और करीबी सहयोगियों के नाम पर खड़ी की, जिसमें वर्तमान आरोपी शरद जायसवाल भी शामिल हैं। शरद जायसवाल को 10 फरवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 29 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट से उसकी जमानत निरस्त हुई थी। लोकायुक्त की 19 दिसंबर, 2024 को की गई छापेमारी में सौरभ शर्मा के घर से 1.14 करोड़ रुपये नकद, सोने के जेवरात सहित कुल 3.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। वहीं सह-आरोपी चेतन सिंह गौर के यहां से भी करीब 1.68 करोड़ रुपये नकद और 2.11 करोड़ रुपये की चांदी बरामद हुई। लोकायुक्त में एफआइआर दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हुई। ईडी के अनुसार यह पूरा मामला अपराध की आय को छिपाने और वैध दिखाने का है, जो मनी लान्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। जांच में यह बात सामने आई थी अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए कथित काले धन को वैध बनाने की साजिश रची गई।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57